रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)- 72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 93] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 1981/फाल्गुन 26, 1902
No. 93] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 1981/PHALGUNA 26, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

अप्रत्यक्ष कर प्रभाग

अधिसूचना

सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1981

सा० का० नि० 182 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 117-सीमाशुल्क [सा० का० नि० 318(अ)] तारीख 9 जून, 1978 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की प्रथम अनुसूची मे,

(क) क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

1.	2.	3.
"5	संसेचन डामर और योजक डामर, खनिज मोम कच्चा पैट्रोलियम कोक और भस्मीकृत पैट्रोलियम कोक ।	27.08, 27.12/13 27.14/16" ;

(ख) क्रमसंख्यांक 28 के स्तंभ 2 मे, निम्नलिखित अन्त में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"पॉलियूरिथेन चर्म-वस्त्र, पॉलियूरिथेन फोम जो टेक्स्टाइल वस्त्रों से स्तरित या संसेचित है" ;

(ग) क्रमसंख्यांक 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तस्थापित किया जाएगा ; अर्थात् :—

1.	2.	3.
"34 क	कु० व० स० खण्ड (कुंतलन), वर्तन और ससाधन)	7333/40 और 84.65" ;

(घ) क्रम संख्यांक 47 और उससे संबंधित प्रविष्टियो के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3
"47 क.	क्रैंक-शैफ्ट	84.63"

[अधिसूचना स० 65/81/-फाइल सं० 602/24/80-डी० बी० के०]

महेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

INDIRECT TAXES DIVISION

NOTIFICATION

CUSTOMS

G.S.R.182(E) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following

further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 117-Customs [GSR 318(E)] dated the 9th June, 1978, namely:—

In the First Schedule to the said notification,—

(a) for Serial No. 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

1.	2.	3.
"5.	Impregnation Pitch and Binder Pitch, Mineral waxes, raw petroleum coke and calcined petroleum coke.	27.08, 27.12/13 and 27.14/16";

(b) in Serial No. 28, in column 2, the following shall be added at the end, namely:— "Polyurethane leather cloth; Polyurethane foam laminated or impregnated with textile fabrics";

(c) after Serial No. 34 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

1.	2.	3.
"34A.	C. T. C. Segments (Crushing—Tearing—Curling).	73.33/40 and 84.65";

(d) after Serial No. 47, and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

1.	2.	3.
"47A.	Crankshaft.	84.63".

[Notification No. 65-Cus./81—F. No. 602/24/80—DBK]

MAHFSH KUMAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980